न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 54/2020 प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

अनवान

1. डाली पत्नि स्व0 उदेराम बैरवा
2. छेवजी आत्मज उदेराम बैरवा
3. बद्री आत्मज उदेराम बैरवा
4. भगवानी पुत्री शंकर बैरवा
5. रतन आत्मज शंकर बैरवा
6. सोहनी पत्नि शंकर बैरवा

सर्व निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. उदी पत्नि स्व0 भगवानलाल बैरवा
2. गंगा पुत्री किशन बैरवा
3. चैनी पत्नि स्व0 भगवानलाल बैरवा
4. देवीलाल आत्मज हीरा बैरवा
5. नर्बदा पुत्री श्रीकिशन बैरवा
6. नोजीबाई पत्नि स्व. श्रीकिशन बैरवा
7. पार्वती पुत्री श्रीकिशन बैरवा नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता नोजीबाई पत्नि श्रीकिशन बैरवा
8. भैरूलाल आत्मज श्रीकिशन बैरवा
9. रतनी पुत्री भगवानलाल बैरवा
10. राधा पत्नि स्व0 हजारी बैरवा
11. लक्ष्मी पुत्री भगवानलाल बैरवा नाबलिग बविलायत जरिये संरक्षक माता चैनी पत्नि भगवानलाल बैरवा
12. श्यामु पुत्री भगवानलाल बैरवा
13. शिवराज आत्मज भगवानलाल बैरवा नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता चैनी बैरवा
14. सायरी पुत्री भगवानलाल बैरवा
15. सीता पुत्री श्रीकिशन बैरवा
16. भैरूलाल आत्मज माधुलाल खारोल
17. भंवरी पत्नि स्व0 किशनलाल बैरवा
18. माया पुत्री किशनलाल बैरवा नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता भंवरी पत्नि किशनलाल बैरवा
19. रतन आत्मज किशनलाल बैरवा
20. सुरेश आत्मज किशनलाल बैरवा नाबालिग बविलायत जरिये संरक्षक माता भंवरी पत्नि किशनलाल बैरवा
21. अशोक कुमार आत्मज केशवचन्द ब्राह्मण

सर्व निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––विपक्षीगण

उप खण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्रीमती सज्जन बैरवा
अधिवक्ता विपक्षीगणः–.......................

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–04.08.2020

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 79 रकबा 0.95 हे0 कुल किता 01 कुल रकवा 0.95 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 148 पर स्थित हैं। भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत सूचना पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षीगण संख्या 1,2,4 लगायत 10,15 लगायत 21 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। एवं विपक्षी संख्या 3, 11, 12, 13, 14 के विरूद्व प्रार्थी अधिवक्ता ने कोई दाद नहीं चाही। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा के प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 79 रकबा 0.95 हे0 कुल किता 01 कुल रकवा 0.95 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 148 पर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण वतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा)

2.

Scanned with CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2020.08.04 16:39:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: